न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्षः— एस0एस0 अली
सदस्य

प्रकरण क्रमांक आर0 एन0-1021/93 के विरूद्ध पारित आदेश दिनांक 16.09.93 के द्वारा अपर कमिश्नर रीवा संभाग रीवा, द्वारा के प्रकरण क्रमांक 295/निग/बी—90/87—88.

श्री अब्दुल अजीज तनय हाजी मुसलिम
निवासी —कटरा मोहल्ला तहसील— हुजूर
जिला—रीवा म0प्र0 .....आवेदक

विरूद्ध

1.शासन म0प्र0
2.श्री धर्मेन्द्र दत्तक पुत्र अनन्तराम द्वारा बली गंगा राम
निवासी—मोहल्ला उपरहटी
तहसील हुजूर, जिला—रिवा
म0प्र0 ..... अनावेदकगण

.....

श्री एस0के0 अवस्थी, अभिभाषक, आवेदक
अनावेदक शासन के ओर से पैनल अभिभाषक

आदेश

(आदेश दिनांक 15—3—2017 को पारित)

यह निगरानी अपर आयुक्त रीवा संभाग रीवा द्वारा प्रकरण क्रमांक 295/निगरानी/बी—90/87—88 में पारित आदेश दिनांक 16.9.93 के विरूद्ध निगरानी अन्तर्गत धारा 42 म0प्र0 सीलिंग अधिनियम 1960 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गई है।

2– प्रकरण का संक्षेप इस प्रकार है कि शासन द्वारा दिनांक 7.10.77 को धारिका अनन्तराम की आदेश दिनांक 20.12.75 के अनुसार धारिका की 121.99 एकड़ असिंचित भूमि निर्धारिक दिनांक को थी उसमें धर्मनारायण को दत्तक पुत्र गोदनामा दिनांक 10.2.70 के द्वारा बनाया है गोदनामा तथा गवाहों के बयान का अवलोकन अनुविभागीय अधिकारी द्वारा करने पर गोदनामा स्वीकार नहीं किया गया और धारिका श्रीमती सरस्वती देवी को केवल 30.00 एकड़ भूमि रखने की पात्रता थी शेष भूमि 91.99 एकड़ भूमि अतिशेष धारा 19 (6) सीलिंग अधिनियम के अन्तर्गत कर दी थी। जिससे से दुखित होकर अपर आयुकत रीवा संभाग रीवा के न्यायालय में दायरा प्रस्तुत किया जो उनके द्वारा प्रकरण कमांक 295/निगरानी/बी–90/87–88 दर्ज कर दिनांक 16.9.93 को यह मानते हुये उनके द्वारा निरस्त कर दी गई कि अनुविभागीय अधिकारी के न्यायालय का अंतिम आदेश होने के कारण प्रकरण निगरानी में नहीं सुना जा सकता । इसी से दुखित होकर यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की है।

3– आवेदक अधिवक्ता का तर्क है कि भूमि कमांक 241 रकवा 22.13 एकड़ भूमि स्थित ग्राम गडड़ी जिला रीवा स्व0 अनन्तराम की भूमि थी जिसके कोई संतान नहीं होने के श्री धर्मेन्द्र को दत्तक पत्र बना लिया था जो निवासी मोहल्ला उपरहटी रीवा तहसीू हुजूर जिला रीवा के निवासी थें स्व0 अनन्तराम के पास अधिक भूमि होने तथा सीमित परिवार था इस कारण आराजी कमांक पुराना 241 जिसका नया कमांक 248 हो गया है किन्तु रकवे में कोई परिवर्तन नहीं है रकवा 22.13 एकड़ ही है। उनके द्वारा अपने तर्क में कहा गया है कि आवेदक को 1951–52 में शिकमी कास्तकार के रूप में जमीन दी गई थी, उसी समय से वह उक्त भूमि पर बादी का कब्जा दखल उन्मूलन के समय कब्जे में चला आ रहा है। आवेदक के अधिवक्ता द्वारा अपने तर्क में यह भी कहा गया है कि उपरोक्त भूमि की लगान श्री अनन्तराम को देते रहे तथा उनका स्वर्गवास होने के कारण उपरोक्त लगान उनकी पत्नी को अदा करते रहे थे। म0प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 के लागू होने पर भूमि का भूमिस्वामी हो गया तथा भूमि की कीमत भी अदा कर चुका है। अंत में उनके द्वारा निवेदन किया गया है कि आवेदक की निगरानी स्वीकार करने का अनुरोध किया गया है।

4– शासन के पैनल अधिवक्ता द्वारा अपने तर्क में कहा हैं कि कब्जे के आधार पर उनके नाम भूमि करने का कोई प्रावधान नहीं है। अतः आवेदक द्वारा प्रस्तुत निगरानी आधार हीन होने के कारण निरस्त करने योग्य है।

5– उभयपक्ष के अधिवक्तागण के तर्क सुने तथा प्रकरण में संलग्न अभिलेख का अवलोकन किया गया। आवेदक अधिवक्ता द्वारा उन्हीं तथ्यों को दौहराया गया है जो उनके द्वारा अपनी निगरानी मेमों में उल्लेख किया गया है। प्रकरण के अवलोकन से स्पष्ट है कि आवेदक द्वारा ऐसा कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया गया जिससे उसका कब्जा सिद्व नहीं होना पाया जाता है। ऐसी स्थिति में आवेदक अधिवक्ता का तर्क मानने योग्य नहीं है।

6– उपरोक्त विवेचना के आधार पर आवेदक द्वारा प्रस्तुत निगरानी सारहीन होने से निरस्त की जाती है। पक्षकार सूचित हों। अधीनस्थ न्यायालयों का अभिलेख आदेश की प्रति के साथ वापस किया जावे।

(एस0 एस0 अली)
सदस्य
राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश
ग्वालियर